

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला केकड़ी

(पीठारीन अधिकारी गुरु प्रसाद तंवर) आर.ए.एस

प्रकरण सं./प्रार्थना पत्र/एल.आर./90/2024

1. छीतर पुत्र माधु जाति जाट निवासी केरियांखुर्द तहसील भिनाय जिला केकड़ी
2. शीला पत्नी छीतर जाति जाट निवासी केरियांखुर्द तहसील भिनाय जिला केकड़ी
3. सीता पुत्री मोहन जाति माली निवासी केरियांखुर्द तहसील भिनाय जिला केकड़ी

प्रार्थीगण

बनाम

1. कालूराम पुत्र रघुनाथ जाति गुर्जर निवासी केरियांखुर्द तहसील भिनाय जिला केकड़ी
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय तहसील भिनाय जिला केकड़ी

अप्रार्थीगण



निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांक:-10.07.2024

1. वकील प्रार्थी- श्री रमेशचन्द मेघवंशी
2. पैरोकार सरकार

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि मौजा केरियांखुर्द पटवार क्षेत्र केरियांखुर्द भू0अ0नि0 क्षेत्र कनेईकलां के खाता सं0 641 में दर्ज खसरा नं. 2399 रकबा 0.31, खसरा नं. 2400 रकबा 0.01 कुल किता 02 कुल रकबा 0.32 हैक्ट जो कि प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता हैं। अप्रार्थीगण सं. 01, प्रार्थी की कब्जे काश्त भूमि पर नाजायज दखल देने एवं अप्रार्थी सं. 02 सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थी को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने हेतु कहने के कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।स

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी संख्या 01 एवं पैरोकार सरकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 की नियमानुसार तामिली होने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने के कारण अप्रार्थी संख्या 01 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। पैरोकार सरकार द्वारा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड, प्रकरण सही होना स्वीकार किया हैं। वकील वादी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों अनुसार कथन करते हुए प्रार्थना-पत्र धारा 128 रा0भू0अधि0 स्वीकार करने का निवेदन किया। पैरोकार सरकार द्वारा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड, प्रकरण सही होना स्वीकार किया हैं। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना-पत्र में संलग्न राजस्व जमावन्दी ग्राम केरियांखुर्द के खाता संख्या 641 संवत 2072-2075(वर्ष 2019 में स्थाई) के आधार पर प्रश्नगत आराजी प्रार्थी की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन तथा बहस पत्रावली के मनन उपरान्त प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर मौजा केरियांखुर्द पटवार क्षेत्र केरियांखुर्द भू0अ0नि0 क्षेत्र कनेईकलां के खाता सं0 641 में दर्ज खसरा नं. 2399 रकबा 0.31, खसरा नं. 2400 रकबा 0.01 कुल किता 02 कुल रकबा 0.32 हैक्ट हेतु नायब तहसीलदार नागोला को 500/- रु(पांच सौ रु) की मौका कमीशनर फीस पर मौका कमीशनर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि सभी

५
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)

सहाय्यता प्राप्त करने के लिए सूचना देने के उपरान्त प्रतीत चक्रा खातीदारी भूमि की पत्तासंगी
को कायदाही कर खातना रिपोर्ट प्रेषित करें। परभावती पैसाल शुमार दर्ज होकर नंबर से
कम हो। खात लाभीत लकणीत होकर दर्जितर दफतर हो।
विशेष आध दिनांक 10.07.2024 को भेरे द्वारा लिखाया जाकर सारे इजलास न्यायालय में
सुनाया गया।



(गुरु प्रसाद तंवर)
उपखण्ड अधिकारी
बिनाय, कंकड़ी
उपखण्ड अधिकारी
बिनाय (कंकड़ी)